

### शांति भंग करने के 14 आरोपी गिरफ्तार :-

होशियार सिंह उ०नि० थानाधिकारी थाना सूरवाल ने 1. श्री मनराज पुत्र श्री भरतलाल उम्र 26 साल, 2. बलराम पुत्र श्री कैलाश उम्र 22 साल, 3. प्रकाश पुत्र श्री बच्चूसिंह उम्र 35 साल समस्त जातियान मीणा निवासियान सूरवाल थाना सूरवाल को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

जबरसिंह हैड कानि० थाना बौली ने. सुरज्ञान पुत्र प्रहलाद उम्र 42 साल 2. कालूराम पुत्र काड्या उम्र 27 साल जातियान मीनगान निवासी मेदपुरा थाना बौली को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

महेशचन्द स०उ०नि० थाना बौली ने 1.भैरूलाल पुत्र मूलचन्द उम्र 53 साल 2. सांवलराम पुत्र बीरबल उम्र 31 साल 3. हरिसिंह पुत्र भैरूलाल उम्र 24 साल 4. रायसिंह पुत्र भैरूलाल उम्र 21 साल 5. राजेश पुत्र प्रकाश उम्र 25 साल समस्त नि० हनुत्या थाना बौली व 6. मोहरसिंह पुत्र मोतीलाल जाति मीना नि० चिमनपुरा थाना लालसोट जिला दौसा को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

प्रकाश चन्द हैड कानि० थाना पीलोदा ने 1.मुकेश पुत्र मूलाराम उम्र 45 साल 2. महेन्द्र पुत्र मूला राम उम्र 25 3. टीकम पुत्र मुकेश उम्र 18 साल जातियान जोगी निवासियान मोहचा थाना पीलोदाको शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

### अवैध शराब बेचते 01 आरोपी गिरफ्तार :-

मुकेश कुमार उ०नि० थानाधिकारी थाना रवांजना डूंगर ने विजेन्द्र पुत्र रामसहाय जाति गुजर उम्र 32 साल नि० जाल्पाखेडी थाना रवाजना डुंगर को अवैध शराब बेचने के आरोप में मय 48 पच्चे देसी शराब के गिरफ्तार कर मुकदमा नम्बर मु०न० 213/17 धारा 19/54 राज० आबकारी अर्ध० में थाना रवांजना पर दर्ज किया गया।

### 02 वारंटी गिरफ्तार :-

रामसहाय स०उ०नि० थाना सूरवाल ने फरार वारंटी 1. घनश्याम पुत्र श्री नानगराम, 2. रूपसिंह पुत्र श्री घनश्याम जातियान मीणा निवासियान दोबडा खुर्द थाना सूरवाल को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपियान के विरुद्ध न्यायालय श्रीमान एसीजेएम कोर्ट स०मा० द्वारा प्रकरण संख्या 568/16 में गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया गया था। आरोपीयान मारपीट के मामले में वांछित चल रहे थे।

### दर्ज मुकदमात के 04 आरोपी गिरफ्तार :-

पप्पूलाल स०उ०नि० थाना मानटाउन ने दर्ज मुकदमात के आरोपी 01— श्री रईस खान पुत्र श्री शब्बीर खान जाति गद्दी मुसलमान उम्र 32 साल निवासी खाट खुर्द थाना सूरवाल जिला सवाई माधोपुर हाल संजय नगर गली नम्बर 10 कोटा थाना भीमगंज मण्डी कोटा जिला कोटा 02— श्री शाहरुख खान पुत्र श्री आमीन खान जाति गद्दी मुसलमान उम्र 21 साल निवासी खाट खुर्द थाना सूरवाल जिला सवाई माधोपुर हाल प्रताप कॉलोनी रंगपुर रोड कोटा थाना रेल्वे कॉलोनी कोटा जिला कोटा 03— श्री साहिद खान उर्फ सिद्दीक खान पुत्र श्री शब्बीर खान जाति गद्दी मुसलमान उम्र 24 साल निवासी खाट खुर्द थाना सूरवाल हाल संजय नगर गली नम्बर 10 कोटा थाना भीमगंज मण्डी कोटा जिला कोटा को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि अफसार पुत्र हिमायत अली निवासी खाट खुर्द थाना सूरवाल ने दिनांक 27.08.2017 को आरोपियान के विरुद्ध थाना मानटाउन पर मु०न० 296/17 धारा 143,323,341,325,308 ता०हि० में मारपीट की प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

अजीत सिंह स०उ०नि० थाना सदर गंगापुर सिटी ने दर्ज मुकदमात के आरोपी राजेन्द्र पुत्र श्री अभयराम जाति गुर्जर उम्र 23 साल निवासी आस्ट्रोली थाना सदर गंगापुरसिटी को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि अफरीदी पुत्र अख्तरअली निवासी दोहरी थाना मानटाउन ने दिनांक 09.11.2017 को आरोपियान के विरुद्ध थाना सदर गंगापुर सिटी पर मु०न० 272/17 u/s 384, 34 ता०हि० में प्राथमिकी दर्ज करायी थी।